

निर्णय व इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर  
प्रकरण संख्या 12/2022 ( धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)  
राज्य सरकार जरिये अशोक कुमार योगी, प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम।

प्रार्थी

बनाम

श्री अविनाश चौधरी पुत्र श्री कृष्णपाल सिंह, निवासी कमडीपुरा, तहसील बडोत, जिला बागपत,  
उत्तरप्रदेश हाल निवासी 3/2, एसएफएस, होटल चुपचाप, मानसरोवर, जयपुर।

अप्रार्थी



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के  
तहत जब्त शुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर (01 आईओसी एवं 01  
एचपीसी) मय एलपीजी 21 किलोग्राम को साजसात (Confiscate)  
करने बाबत।

उपस्थित:-

1. विभागीय पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांक 06.12.2024

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम से प्राप्त निर्देश की पालना में घरेलू गैस के अवैध व्यावसायिक उपयोग करने की सूचना प्राप्त होने पर प्रार्थी बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के दिनांक 03.06.2022 को रेस्टोरेन्ट चुपचाप होटल, 3/2 एसएफएस, मानसरोवर जयपुर की जांच की गई। परिसर की जांच करने पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डर (01 आईओसी एवं 01 एचपीसी) क्षमता 14.2 किलोग्राम पाये गये। अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर हाईप्रेशर पाईप लाईन के माध्यम से चूल्हे से जुड़ा पाया गया। जिनको राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एव जब्त गैस सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील, विस्फोटक एवं जनहित के काम आने वाली वस्तु होने से धारा 6-ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील विस्फोटक एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6-ए, (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 09.06.2022 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवावें। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील उपस्थित नहीं हुआ। अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।
3. बहस एक पक्षीय पैरोकार रसद सुनी गई।
4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौरान बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि रेस्टोरेन्ट चुपचाप होटल, 3/2 एसएफएस, मानसरोवर जयपुर पर श्री अविनाश चौधरी पुत्र श्री कृष्णपाल सिंह की उपस्थिति में जांच की गई। मौके पर कुल 02 घरेलू गैस सिलेण्डर (01 आईओसी एवं 01 एचपीसी) क्षमता 14.2 किलोग्राम के पाये गये।

जिला कलक्टर  
जयपुर




घरेलू गैस सिलेण्डर हाईप्रेसर पाईप लाईन के माध्यम से चूल्हे से जुड़ा पाया गया। मौके पर मैसर्स नारायण गैस एजेन्सी मानसरोवर, जयपुर के प्रतिनिधि श्री सुनील कुमार को बुला कर तौल कराया गया। तौल कराने पर गैस सिलेण्डरों में कुल 21 किलो ग्राम एल.पी.जी. पाई गई। मौके पर अप्रार्थी द्वारा इस बाबत न तो कोई वैद्य दस्तोवज पेश किया गया और न ही अवैद्य भण्डारण के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा सामग्री को राजसात (Confiscate) करने के आदेश फरमावे।

5. विभागीय पैराकार रसद की बहस को गौर से सुना। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जल्दी दिनांक 03.06.2022 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।
6. प्रार्थी द्वारा जब्त किये गये सिलेण्डर्स के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। दौराने जांच मौके पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डर (01 आईओसी एवं 01 एचपीसी) क्षमता 14.2 किलोग्राम मय एलपीजी 21 किलोग्राम पाये गये। घरेलू एल.पी.जी. कम कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है, जिसका व्यावसायिक उपयोग किया जाना वर्जित है, इसके बावजूद अप्रार्थी फर्म द्वारा होटल की किचन में दो घरेलू गैस सिलेण्डर हाईप्रेसर पाईप के माध्यम से चूल्हे से जुड़े पाये गये। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैद्य मुनाफा की आपराधिक मनःस्थिति एवं बदनियती स्पष्ट जाहिर होती है। इसलिए जब्त सिलेण्डर्स मय एलपीजी को राजसात किया जाना वाजिब समझते हैं।
7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के कब्जे से जब्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डर (01 आईओसी एवं 01 एचपीसी) क्षमता 14.2 किलोग्राम मय एलपीजी 21 किलोग्राम को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
8. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में दिनांक 09.06.2022 को अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश दिये गये हैं तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।
9. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली फौसल शुमार हो कर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



  
(डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी)  
जिला कलेक्टर  
जयपुर